UPHR010012342021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

सत्र वाद सं०–316/2021

सरकार–––बनाम–––राहुल आदि।

दिनांकः 02.09.2025

1– पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

2– **निस्तारण प्रार्थनापत्र 84 ब अंतर्गत धारा 348 बी०एन०एस०एस०**

3– उपरोक्त प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त राहुल सिंह की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह उपरोक्त मुकदमे का अभियुक्त है व मृतका शानू सिंह का पति है। दिनांक 26.03.2020 को जब आवेदक/अभियुक्त गाँव के बाहर खेतों पर था और उसके माता–पिता दिल्ली में मौजूद थे, शाम को मृतका ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी सूचना 112 नं0 पर दी गई थी। सूचना पर 112 नं० वाहन पुलिसकर्मियों सहित आया था और मृतका को फंदे से उतारकर अपनी मौजूदगी में उसके फोटोग्राफ लिया था, जिसकी फोटो संलग्न प्रार्थनापत्र की जा रही है, जिसमें मृतका की आँख फूटी हुई नहीं है, केवल गले में फंदे का निशान है। चूंकि मृतका के शरीर पर, उसके मायके वाले जब आये है तब मुकदमे को रंगत देने के लिए आँख फोड़ी गई और हथेली पर चोट पहुंचाई गई है। न्यायहित में 112 नं0 पर ड्यूटी वैन पी०आर०वी० 2722 में तैनात पुलिसकर्मी एच०सी० बृजेन्द्र बहादुर सिंह, कान्सटेबिल/चालक रवीन्द्र कुमार, कान्स्टेबिल रवीन्द्र सिंह, होमगार्ड विमलेश कुमार व पी०आर०वी० 2723 पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी एच०सी० दूधनाथ, कां० रोहित यादव, एच०सी० सुरेश चन्द्र व कां० अतुल कुमार सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय द्वारा तलब किया जाना अति आवश्यक है। आवेदक/अभियुक्त मृतका की फोटो व 112 नं० पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची, जोकि सूचना के अधिकार के तहत पत्रांक ज०सू०प्रा० 483/25 दिनांक 02.07.2025 कार्यालय पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई है, को फेहरिश्त के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र कर रहा है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित साक्षीगण को साक्ष्य हेतु तलब किए जाने की याचना की गयी है।

4– उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्त (दाण्डिक) की ओर से आपत्ति 86 ब प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह कथन किए गए हैं कि उपरोक्त वाद अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। बचाव पक्ष

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2025.09.03 15:45:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस स्तर पर पोषणीय नहीं है, क्योंकि बचाव पक्ष के पास अपने साक्षी प्रस्तुत करने हेतु सफाई साक्ष्य का अवसर उपलब्ध है। प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्त (दाण्डिक) के तर्कों को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

6– पत्रावली का परिशीलन किया।

7– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से तथ्य एवं औपचारिक साक्षियों सहित कुल 09 साक्षी परीक्षित कराए जा चुके हैं और पत्रावली शेष साक्ष्य हेतु नियत चल रही है। आवेदक/अभियुक्त अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित जिन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करना चाहता है, उन्हें वह जब पत्रावली अभियुक्तगण के सफाई साक्ष्य हेतु नियत होगी, उस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के पास उक्त साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए जाने का अवसर उपलब्ध रहेगा। इस स्तर पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मात्र विचारण की कार्यवाही को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित हो रहा है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 84 ब निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राहुल सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 84 ब अंतर्गत धारा–348 बी०एन०एस०एस० निरस्त किया जाता है। आपत्ति 86 ब तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 09.09.2025 को पेश हो।

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।